3119

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट या अपीलांट
स्वयं में से कोई उपस्थित नहीं हुए हैं। न्यायालय
समय तक इंतजार किया गया। इन्हें पुकार-2 समय
में तीन बार आवाजें लगवाई गई। पत्रावली का
अवलोकन किया। दिनांक 19/9/17 की आदेशिका
से मामले में अंतरिम आदेश देते स्थगन
आदेश दिया गया है परन्तु लगभग 1 वर्ष 06 माह
की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी 39(3)
के आज्ञापक प्रावधानों के तहत एवं न्यायालय की आदेशिका
दिनांक 18/12/18 की पालना नहीं की गई है। इससे
स्पष्ट है कि अपीलांट न्यायालय के आदेशों की
अवहेलना का आशय रखता है। उसकी न्यायालय के
आदेशों की पालना के प्रति कोई गंभीरता नहीं
है और न ही प्रकरण में पैरवी की जाती है।
स्पष्ट है कि वह न्यायालय का समय जाया करना
चाहता है न कि प्रभावी ढंग से कानून की मंशा
के अनुरूप पालना करते हुए पैरवी करना। ऐसी
स्थिति में अपीलांट अपील अदम पैरवी, अदम
हाजरी एवं अदम पालना में खारिज की
जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर
से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर